



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शाहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

14 नवंबर, 2024

आरबिआई आर्थिक जरिमाना आरोप करल द्य जयनगर मजिलपुर पिपल'स को- अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड, ओयेस्ट बेङ्गल-एर उपर

भारतीय रिज़र्व ब्याङ्क (आरबिआई) नवंबर 11, 2024 दिनांकित आदेश मारफत द्य जयनगर मजिलपुर पिपल'स को-अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड, ओयेस्ट बेङ्गल (ब्याङ्क)-एर उपर ₹6.34 लाख (छय लाख चौत्रिंश हजार टाका मात्र)-एर आर्थिक जरिमाना आरोप करेछे 'अग्रधिकार क्षेत्र-जनित ऋणप्रदान- लक्ष्यमात्रा एवं श्रेणीविभाजन' ('Priority Sector Lending (PSL) - Targets and Classification') संक्रान्त आरबिआई द्वारा जारिकृत निर्दिष्ट किछु निर्देशविधि ओ PSL जनित अर्जनकार्ये घाटति हेतु स्फुद्र एवं लघु उद्योग पुनःअर्थसंस्थान तहबिल (Micro and Small Enterprises (MSE) Refinance Fund)-ए अवदान प्रदानक्रिया संक्रान्त आरबिआई द्वारा जारिकृत निर्धारित निर्देशविधि विषयक अननुपालनक्रिया-र मर्मे । ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याक्ट, 1949-एर धारा 47A (1) (c) तंसह पठित धारा समूह 46 (4) (i) ओ 56-एर विधानसमूह-र अधीने आरबिआई-ते न्यस्त क्षमताबल-र प्रयोगे एइ दल-टि आरोप करा हयेछे।

आरबिआई द्वारा ब्याङ्क टि-र प्रति निर्धारित निर्देशविधि मारफत अल इन्डस्ट्रिज डेवेलपमेन्ट ब्याङ्क अफ इन्डिया (Small Industries Development Bank of India (SIDBI)) द्वारा प्रशासित MSE रिफिनांस फाल्ड -ए अर्थवर्ष (FY) 2022-23-ते PSL लक्ष्यमात्रा अर्जनकार्ये घाटति-र सापेक्षे निर्दिष्ट राशि जमा करते आदेश देओया हयेछिल। निर्धारित राशि-र जमाकार्ये व्यर्थता-र सापेक्षे आरबिआई द्वारा ब्याङ्क-टि-र प्रति दरकारजनित राशि जमा करार मर्मे परामर्श दिये एकटि सतर्कता पत्र तंसह जारि करा हयेछिल, किन्तु ब्याङ्क-टि-र जमा करते व्यर्थ हय। प्रागोक्त अननुपालनक्रिया एवं ए सम्पर्कित बार्ताविनिमय-र भित्ति, ब्याङ्क-टि-र प्रति एकटि विज्ञप्ति (notice) जारि करा हयेछिल एर उपर केन निर्धारित निर्देशविधि समूह अननुपालन क्रिया-ते एर व्यर्थ हओयार जन्य दल आरोप करा हवे ना सेइमर्मे कारण दर्शानो-र परामर्श दिये।

বিজ্ঞপ্তি টির সাপেক্ষে ব্যাঙ্ক টি-র জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানি কালীন এর দ্বারা পেশ করা মৌখিক দাখিলাদি বিবেচনা করা'র পর আরবিআই অন্যান্য বিষয়ের সাথে খুঁজে পেয়েছে যে FY 2022-23-তে PSL লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকার্যে ঘাটতি-র সাপেক্ষে SIDBI-তে ক্রিয়ারক্ষিত MSE রিফিনান্স ফান্ড –এ নির্ধারিত রাশি নির্ধারিত সময়ের ভিতরে এবং এমনকি সতর্কতা পত্র জারির পরেও জমাক্রিয়ায় ব্যর্থতা জনিত অভিযোগ ধার্য-ক্রিয়া(charges) সঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিক জরিমানা আরোপ যথোপযুক্ত।

এই ক্রিয়াপদক্ষেপ-এর ভিত্তি- বিধিসম্পর্কিত(regulatory) অনুপালন কার্যে খামতি, এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক তার গ্রাহকের সাথে ক্রিয়াসম্পাদিত কোনও লেনদেন বা সম্মতিসনদ (agreement)-এর বৈধতা-র উপর বিচার-প্রভাব আরোপ এর অভিপ্রায় নয়। অধিকন্তু, এই আর্থিক দন্ড আরোপ হয় প্রাক-সিদ্ধান্ত বিনা (without prejudice)- অপর কোনও ক্রিয়াপদক্ষেপ-এর সাপেক্ষে যা আরবিআই কর্তৃক ব্যাঙ্ক টির বিরুদ্ধে আরম্ভ করা হ'তে পারে।

(পুনীত পাঞ্চোলি)
মুখ্য মহাপ্রবন্ধক

প্রেস প্রকাশনী : 2024-2025/1511